

सम्बर रसीद संख्या

30

735/13 (3)

204

(यह प्रति लेख्य-पत्र पेश करने वाले आवेदन पत्र पेश करने वाले अपने पास रहने देंगे)

(प्राप्त हुई फीस के लिए रसीद)

1. पेश करने वाले या आवेदन देने वाले का नाम 21 मधु दास
2. लेख्य-पत्र की किरम
3. विवरण फीस जो प्राप्त हुई : माल दास
4. प्रतिफल की रकम
- क. फीस रजिस्ट्री :

- (1) साधारण फीस रजिस्ट्री ..... 1228
- (2) लेख्य-पत्र की पुस्तक में प्रतिलिपि करने की फीस ..... 300
- (3) धारा 64 से 67 के अनुसार जापन जारी करने की फीस .....

ख. धारा 57 के अनुसार प्रार्थियों के प्रविष्ट लेखों की प्रतिलिपि देने की फीस 5137

- ग. विविध फीस :
- (1) साधारण अथवा विशेष अधिकार-पत्र प्रमाणीकरण फीस
  - (2) धारा 62 के अनुसार अनुवाद प्रस्तुत करने की फीस
  - (3) धारा 25 व 34 के अनुसार देर से लेख्य-पत्र प्रस्तुत होने अथवा सम्पादनकर्ता इत्यादि के उपस्थित होने के कारण नुकाई हुई फीस

- (4) कमीशन तथा घर जाने की फीस तथा भत्ता .....
- (5) रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री करने पर अतिरिक्त फीस .....
- (6) संरक्षण फीस .....
- (7) मोहरबंद लिफाफे (जिसमें वसीयत-पत्र रखा हो) की अमानत रखने, बापिम लेने अथवा खोलने की फीस .....
- (8) पुस्तक का निरीक्षण अथवा तलाशी की फीस .....
- (9) अन्य विविध प्रकार की आय (जिसकी रद्दी पदार्थों की बिक्री इत्यादि की आय सम्मिलित है) .....

योग फीस

7279-00

फीस के प्राप्त होने की तारीख

लेख्य-पत्र या प्रतिलिपि तलाश सर्टिफिकेट पाने के हस्ताक्षर और लौटाये जाने या पाने की तारीख

रजिस्ट्री करने वाले अफसर के हस्ताक्षर  
उप निजियक, भावली  
जिला सदरपर (राज)



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON

भारत

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND

Rs.1000

INDIA



राजस्थान RAJASTHAN

मावली (उदयपुर)

C 479597

विक्रय पत्र तादादी 1,20,000/- रुपया

स्टाम्प कीमती 1000/- रुपया

यह विक्रय पत्र आज दिनांक 24/05/2013 ई0 को निम्न पक्षकारान् के मध्य मावली में निम्न प्रकार निष्पादित किया गया :-

विक्रेता:-

1. श्री शम्भुदास पिता श्री लालदास जी जाति वैरागी उम्र 40 वर्ष निवासी मावली तह0 मावली जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री दिनेशदास पिता गमेरदास जी जाति वैरागी उम्र 30 वर्ष निवासी गोविन्दनगर, बी-7 कांकरोली जिला राजसमन्द (राज.)

---प्रथमपक्षकार

क्रेता:-

श्री संजयकुमार पिता श्री भंवरलाल जी मून्डा जाति माहेश्वरी उम्र बालिग निवासी मावली तह0 मावली जिला उदयपुर (राज.)

दिनेश

शम्भुदास

-- द्वितीयपक्षकार

(संजय) ...2

8  
उप पंजियक, मावली  
जिला उदयपुर (राज.)

क्रम संख्या 163 दरया 1000/-  
 नाम शम्भुदास पिता का नाम लालदास जी  
 जाति वैरागी पत्र 50 निवासी मावली  
 रहस्योत्तर मावली पिता उदयपुर  
 हस्ताक्षर [Signature] दिनांक 24/5/13  
 वा. [Signature] दिनांक 24/5/13

हस्ताक्षर कर

शम्भुदास

हस्ताक्षर स्टाम्प विनिर्देश

[Signature]  
 24/5

आज दिनांक 24 माह 5 सन् 13 को  
 बजे से बजे के मध्य उप पंजीयक, मावली  
 के कार्यालय में श्री/श्रीमती शम्भुदास  
 पुत्र/पत्नी श्री लालदास जी  
 जाति वैरागी आयु 60 वर्ष आय-व्यापार  
 निवासी मावली द्वारा लेख पत्र प्रस्तुत  
 किया गया।

शम्भुदास

[Signature]  
 उप पंजीयक, मावली

1. रजिस्ट्री शुल्क 1228
2. प्रतिलिपि शुल्क 614
3. कमी. स्टाम्प/जम्मा 5137
4. पृष्ठांकन शुल्क 300

कुल जमा 7219  
 रसीद संख्या 735/13  
 दिनांक जमा 24/5/13

[Signature]  
 उप पंजीयक, मावली

#### स्टाम्प ड्यूटी प्रमाण-पत्र

यह पृष्ठांकन किया जाता है कि स्टाम्प  
 ड्यूटी की अतिरिक्त देय राशि रु. 5137  
 रसीद संख्या 735/13 दिनांक 24.5.13  
 से प्राप्त की गई है, अतः अब उक्त दस्तावेज  
 कुल रु. 6137 के स्टाम्प पर निष्पादित  
 माना जायेगा।

[Signature]  
 उप पंजीयक, मावली





1-

यह कि प्रथमपक्षकार के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आवासीय भूमि मोजा मावली पटवार हल्का मावली, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0) में स्थित है जिसके आराजी संख्या 1871 रकबा 1 बीघा 17 बिश्वा में से 1 बीघा 10 बिश्वा कुल किता 1 रकबा 1-10 बीघा यानि की 2429 वर्गमीटर भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण का संपरिवर्तन आदेश कार्यालय तहसीलदार मावली जिला उदयपुर (राज0) द्वारा जरिये क्रमांक एफ (36) रीडर/ भू.रू./ग्राम./2013/72 दिनांक 13.03.2013 को श्री शम्भुदास पिता श्री लालदास जी जाति वैरागी उम्र 40 वर्ष निवासी मावली तह0 मावली जिला उदयपुर (राज.) एवं श्री दिनेशदास पिता गमेरदास जी जाति वैरागी उम्र 30 वर्ष निवासी गोविन्दनगर, बी-7 कांकरोली जिला राजसमन्द (राज.) के नाम से जारी किया गया जिसका चालान संख्या 904 दिनांक 25.02.2013 को चालान राशि 36530/- रूपया जमा करा दिया है। उपरोक्त आराजी प्रथमपक्षकार के नाम की 1-10 बीघा आबादी भूमि यानि 2429 वर्गमीटर आबादी भूमि है।

उक्त भूमि राजस्व ग्राम मावली पटवार हल्का मावली तह0 मावली जिला उदयपुर में स्थित है जिस पर विक्रेता प्रथमपक्षकार एवं अन्य खातेदारों ने मिलकर गोकुलधाम नामक आवासीय योजना बनाई, जिसमें सड़क मार्ग की जगह छोड़ते हुए भूखण्डों की संरचना की है, जिसमें से प्रथमपक्षकार के हिस्से में आये आबादी आवासीय भूखण्डों को हस्तान्तरण एवं अन्तरण करने, दस्तावेज निष्पादित करने का मुझ प्रथमपक्षकार को पूर्ण हक व अधिकार है जिसके तहत इस विक्रय पत्र द्वारा आबादी आवासीय भूखण्ड संख्या 2-बी सम्पूर्ण 456 वर्गफीट एवं भूखण्ड संख्या 3-बी सम्पूर्ण 518 वर्गफीट इस प्रकार कुलिया 974 वर्गफीट है, जिसमें प्रथमपक्षकार को अपने परिवार की वैध आवश्यकता होने से उक्त भूखण्ड को द्वितीयपक्षकार को विक्रय हेतु प्रस्तावित किया।

2-

यह कि उक्त वर्णित आवासीय भूमि स्टेट हाईवे एवं आबादी से 1 कि.मी. दूर तथा नगर परिषद् उदयपुर की सीमा से काफी दूर स्थित है, जिसमें बिजली, पानी, नाली की सुविधाएं अभी उपलब्ध नहीं है।

3-

यह कि उक्त वर्णित आराजीयात नगर परिषद्, उदयपुर की सीमा से दूर तथा नगर विकास प्रन्यास की सीमा से बाहर होने से भूमि रूपान्तरण नियमों के तहत संबंधित खातेदारों ने आबादी में संपरिवर्तित कराने के लिये कार्यालय तहसीलदार, मावली के यहां आवेदन किया, जिस पर संबंधित अधिकारी, ने आराजीयात के सम्पूर्ण रकबे को आबादी में संपरिवर्तित किये जाने का आदेश जारी किए जिसका दाखिला राजस्व विभाग द्वारा किया गया है।

...3

उप पञ्जीयक, मावली  
जिला उदयपुर (राज.)

सिनेहा

शम्भुदास

गोविन्दनगर

श्री २५३८५१५१० लावली  
दीरगी नि मावली,

श्री २५३८५१०



श्री/श्रामता ----- दिनेशदास  
पुत्र/पत्नी श्री ----- गजेन्द्रदास  
जाति ----- दीरगी आयु ----- व्यवसाय ----- व्यापार  
निवासी काकोरी ----- द्वारा लेख पत्र का निष्पादन  
करवा स्वीकार किया एवं प्रतिकल करवा ----- 12000/-  
शर्तों में ----- एक लाख बीस हजार रुपये  
पूर्व में तथा ----- शर्तों में -----  
----- हमारे सामने पुरि करवा

स्वीकार किया ।

दिनेश

निष्पादनकर्ता

००

उप पंजियक, मावली




निष्पादनकर्ता को श्री ----- गिरिधर  
पुत्र श्री ----- सत्यनारायण जाति ----- लावली  
आयु ----- व्यवसाय ----- व्यापार  
निवासी ----- मावली ----- ने एवं  
श्री ----- विमल पुत्र ----- चमेश चन्द  
जाति ----- लावली आयु ----- व्यवसाय ----- व्यापार  
निवासी ----- मावली ----- ने पहिचाना ।

उप पंजियक, मावली

गिरिधर लावली



विमल चमेश चन्द







4-

यह कि उपरोक्त पैरा संख्या 75 में वर्णित आबादी को आराजी प्रथमपक्षकार विक्रेता ने अपने नाम पर पट्टे जारी करा कर नक्शा मुताबिक मौके पर सड़क मार्ग आदि की जगह को छोड़ते हुए सभी ने मिलकर भूखण्ड बनाये, तथा आराजी अनुसार भूखण्ड को बेचने को सड़कों का कोसिंग हो, समानता बनी रहें, तथा खरीदारों का अपना टाईटल मिलें, निर्माण स्वीकृति लैने एवं विविध संस्थानों से ऋण सुविधा लेने में आसानी रहे आदि आदि बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलकर बनाया गया है प्रथमपक्षकार के टाईटल में किसी प्रकार की कमी नहीं है। सारी कार्यवाहीयों विधिवत् एवं नियमों के तहत हुई है।

5-

यह कि भूखण्ड संख्या 2-बी सम्पूर्ण 456 वर्गफीट एवं भूखण्ड संख्या 3-बी सम्पूर्ण 518 वर्गफीट इस प्रकार कुलिया 974 वर्गफीट आवासीय होकर ग्राम मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर में स्थित है, जिसके पडोस निम्न प्रकार है :-

पूर्व : अन्य कृषि भूमि

पश्चिम : प्लानिंग का 30 फीट चौड़ा रास्ता

उत्तर : भूखण्ड संख्या 2-ए

दक्षिण : भूखण्ड संख्या 3-ए

उक्त चारों पडोस के मध्य स्थित भूखण्ड संख्या 2-बी सम्पूर्ण 456 वर्गफीट एवं भूखण्ड संख्या 3-बी सम्पूर्ण 518 वर्गफीट इस प्रकार कुलिया 974 वर्गफीट जिसे इस विक्रय पत्र द्वारा आप द्वितीयपक्षकार को विक्रय किया जा रहा है। जो सलंगन नक्शे में मय नाप एवं पडोसों के दर्शाया गया है तथा सुर्ख लाल रंग से मार्क किया गया है जो इस विक्रय पत्र का अभिन्न अंग रहेगा तथा माना जावेगा।

6-

यह कि विक्रेता प्रथमपक्षकार उक्त पैरा सं. 5 में वर्णित नाप एवं पडोस का भूखण्ड मय हक-हकुक, निसार-पेसार, सुखाधिकारों एवं मालिकाना हक सहित तथा भुमितल से आकाश तक के हक, अधिकारों सहित आप केता द्वितीयपक्षकार को बिल एवज रुपया 1,20,000/- अक्षरे एक लाख बीस हजार रुपयों में विक्रय करना स्वीकार कर विक्रय मूल्य की कुलिया राशि नगद पूर्व में फर्दन फर्दन प्राप्त कर ली है। अब कोई राशि लेना बकाया नहीं है। रुपया प्राप्तिगी की अभिस्वीकृति वक्त रजिस्ट्री रुबरु सब रजिस्ट्रार साहब के समक्ष प्रथमपक्षकार विक्रेता कर दूंगा। उक्त भूमि का कब्जा आप द्वितीयपक्षकार को सौंप दिया। द्वितीयपक्षकार ने वास्तविक रूप से कब्जा पा लिया। इसके मुत्तलिक कुलिया कागजात आप द्वितीयपक्षकार को सौंप दिये। ...4

उप पंजीयक, मावली  
जिला उदयपुर (राज)

रिसेरा

शमशेर

महाराज



- 7- यह कि कुलिया रकम प्राप्त कर आज दिनांक को विक्रय किए जा रहे भूखण्ड पर कब्जा आप क़ेता को सिपुर्द कर दिया है। आज से आप क़ेता विक्रेता के बजाय मालिक काबिज बन गए है, जिसको उपयोग उपभोग करे, लागत लगावे, निर्माण करावे तथा भविष्य में अन्य किसी व्यक्ति को रहन, बैह, बक्षिस करे एवं लाभ प्राप्त करें। साथ ही आज आप क़ेता को संपरिवर्तन आदेश नक्शों की फोटोप्रति तथा सम्बन्धित आराजीयात के खरीद दस्तावेज की फोटो प्रति सिपुर्द कर दिये है। जो टाईटल के सबुत है।
- 8- यह कि इस विक्रय पत्र द्वारा आप क़ेता सम्बन्धित ग्राम में आवेदन कर उक्त भूखण्ड अपने नाप पर अंकित करावे तथा, बिजली पानी के कनेक्शन लेवें तथा अन्य सुख सुविधाएं प्राप्त करे। क़ेता आज के बाद लगने वाला टेक्स, शुल्क अदा करेंगे।
- 9- यह कि प्रथमपक्षकार को उक्त भूखण्ड हर प्रकार से हस्तान्तरित करने के अधिकार प्राप्त है। इस पर किसी बैंक, सरकारी विभाग या वित्तिय संस्थाओं से ऋण सुविधा प्रथमपक्षकार ने नहीं ले रखी हैं, वर्तमान में इस पर कोई टेक्स नहीं लगता है। सिलिंग एवं शहरी सिलिंग कानून से मुक्त है। किसी भी सरकारी विभाग या न्यायालय में मामला विचाराधीन नहीं है। आज तारीख पूर्व उक्त विक्रीत भूखण्ड आप क़ेता के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को रहन, बैह, बक्षीस नहीं किया गया है और न ही किसी प्रकार का इकरार ही किया गया है। यानि हर प्रकार के ऋण एवं भार से मुक्त है।
- 10- यह कि आज दिनांक तक जो हक अधिकार प्रथमपक्षकार विक्रेता को प्राप्त थे वे सभी आज दिनांक से आप क़ेता में निहित हो गए है। अब उक्त भूखण्ड में प्रथमपक्षकार का कोई हक एवं हिस्सा नहीं रहा है। आप क़ेता संपरिवर्तन आदेश में दी गई शर्तों एवं निर्देशों की पालना करेंगे। नक्शे में दर्शायी गई सड़क की चौड़ाई प्रस्तावित है जो कि मौके पर विक्रेता की आराजीयात में से प्लान के अनुसार छोड़ी गई है। जिसके उपयोग उपभोग का अधिकार सभी क़ेतागणों को है।
- 11- यह कि विक्रीत भूखण्ड का क्षेत्रफल पूर्णतः या आंशिक प्रथमपक्षकार के स्वामित्व, अधिपत्य या टाईटल की कमी के कारण या किसी कानूनी प्रक्रिया की कमी के कारण या अन्य व्यक्ति द्वारा उठाए गए उजर एतराजों के कारण आप क़ेता के अधिपत्य से निकल गया या नुकसान उठाना पडा तो प्रथमपक्षकार अपने स्तर पर स्वयं के खर्च से निपटाएगा। आप क़ेता को कोई नुकसान नहीं होने देगा।

११/२५/११

...5





12-

यह कि इस विक्रय पत्र के निष्पादन में होने वाला समस्त व्यय, मुद्राक शुल्क, पंजीयन शुल्क, व वकील महनताना या अन्य शुल्क कुलिया प्रथमपक्षकार स्वयं ने वहन किया है।

13-

यह कि उक्त विक्रीत भूखण्ड पर किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं होकर न्यायालय के स्थगन आदेश से मुक्त है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र आज दिनांक को प्रथमपक्षकार ने आप द्वितीयपक्षकार के हक में राजी खुशी स्वेच्छा से बिना किसी डर व दबाव के पूर्ण होश हवाश की अवस्था में, विक्रीत सम्पत्ती का भौतिक कब्जा सिपुर्द कर स्वस्थ चित्त, स्थिरबुद्धि, की अवस्था में सोच समझकर पढ, सुन कर निम्नलिखित साक्षीगण के समक्ष निष्पादित कर विक्रय पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर दिये है जो सही सनद रहे वक्त जरूरत काम आवें।

दिनांक : 24.05.2013

स्थान :

मावली

ह0 प्रथमपक्षकार

ह0 द्वितीयपक्षकार

साक्षी

1-

श्री गिरिराज पिता श्री सत्यनारायण जी लावटी उम्र वयस्क निवासी मावली तह0

मावली जिला उदयपुर (राज0)



2-

श्री निर्मल पिता श्री धर्मेशचन्द्र जी लोढा उम्र वयस्क निवासी मावली तह0 मावली जिला उदयपुर (राज0)

दिनांक :



24.05.2013

स्थान :

मावली

ह0 प्रथमपक्षकार

ह0 द्वितीयपक्षकार



...6

उप पंजीयक, मावली  
जिला उदयपुर (राज.)





पंजीयन का प्रमाण-पत्र

आज दिनांक 24 माह 5 राज 13  
की पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 8  
के पृष्ठ संख्या 15 क्रम संख्या 717/13 पर  
पंजीबद्ध किया गया। जिसको अति. पु. सं. संख्या 1  
जिल्द सं. 8 पृष्ठ सं 15 पर बतला किया गया।

उत्तर प्रदेशीय, माधली

## विकीत भूमि का फोटो

N  
↑

|                    |                        |                 |
|--------------------|------------------------|-----------------|
| रामदा 30 फीट चौड़ा | खुदबख्त सख्या 2-ए      | अन्य लक्षि भूमि |
|                    | खुदबख्त सख्या 2-ब, 3-ब |                 |
|                    | 974 वर्ग फीट           |                 |
|                    | खुदबख्त सख्या 3-ए      |                 |



दिनांक : 24.05.2013

स्थान : मावली

विनेश

ह0 प्रथमपक्षकार

श.म.प.प.

ह0 द्वितीयपक्षकार

8  
उप पंजीयक, मावली  
जिला सदयपुर (राज.)



फार्म बी  
देखिये नियम 9 (3) (4) और (6)  
**कार्यालय तहसीलदार मावली जिला उदयपुर ( राज. )**

36 ) रीडर/भूरू./ग्रा./13/72

दिनांक:-13/3/2013

-:संपरिवर्तन आदेश :-

शम्भुदास पिता लालदास वैरागी निवासी मावली तह0 मावली, दिनेशदास पिता गमेरदास वैरागी निवासी गोविन्दनगर बी-7 कांकरोली जिला राजसमन्द के प्रार्थना पत्र पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि को नियम 9 के अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:-

|   |  |   |
|---|--|---|
| 1   | आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता/पति के नाम सहित तथा पूरा पता  | श्री शम्भुदास पिता लालदास वैरागी निवासी मावली तह0 मावली, दिनेशदास पिता गमेरदास वैरागी निवासी गोविन्दनगर बी-7 कांकरोली जिला राजसमन्द   |
| 2   | क्या आवेदक अनुसूचित /जनजाति का सदस्य है।   | सामान्य   |
| 3   | संपरिवर्तन की जाने वाली भूमि का ब्योरा<br>1- ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम<br>2- भूमि का खसरा नं. और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल ( हेक्टर/व.मी.में )<br>3 प्रत्येक खसरा संख्या ( क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन ( क्षेत्रफल हेक्टर/वर्गमीटर में ) | ग्राम मावली ग्राम पंचायत मावली तहसील मावली<br>आ.नं. 1871 रकबा 1.17 बीघा में से 1.10 बीघा किता 1 रकबा 1.17 बीघा में से 1.10 बीघा<br>आ.नं. 1871 रकबा 1.17 बीघा में से 1.10 बीघा किता 1 रकबा 1.17 बीघा में से 1.10 बीघा यानि 2490 वर्गमीटर |
| (टिप्पणी अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है) |  |   |
| 4   | संपरिवर्तन का प्रयोजन  | आवासीय  |
| 5   | संदेय प्रिमीयम की दर   | 5/-रु. प्रति वर्गमी. या डी.एल.सी. दर का 5 प्रति. या रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की खरीद दर अनुसार जो तीनों में से अधिक हो   |
| 6   | चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रिमीयम की रकम   | मद 0029 चा.सं. 904 दिनांक 25.02.2013<br>भू-राजस्व राशि 36530 /-रु.<br><br>कुल योग 36530 /-रु.   |
| 7   | चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति, यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम  | नहीं  |
| 8   | चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम  | नहीं  |
| 9   | क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है।   | हाँ   |
| 10  | अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो  | -   |

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधधीन होगा :-

- उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
- यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रिमीयम धन सम्पहत हो जायेगा।
- नियम-4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अन्य अकृषि प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
- उक्त संपरिवर्तन भूमि जिस प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित की गई है उस भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- निर्धारित सड़क मार्गाधिकार नेशनल रोड कांग्रेस एवं भूतल परिवहन मंत्रालय के निर्देश एवं राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग के निर्देश अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग/राजमार्ग/अन्य मार्ग से कमशः 40/35/20 मीटर एवं ग्रामीण सड़क से निर्धारित दूरी छोड़ कर ही कार्य कर सकेंगे। नजरी नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता अभिलेख में पुख्ता दर्ज कराने का उत्तरदायित्व आवेदक खातेदार का होगा।
- भविष्य में यदि किसी प्रकार की राजस्व आदि देय होने पर प्रार्थी जमा कराने हेतु बाध्य होगा।
- जिस प्रयोजनार्थ भूमि संपरिवर्तित की जा रही है, उसके लिए प्रार्थी का संबंधित विभाग स्थानीय निकाय से अनापत्ति/स्वीकृति आदि प्राप्त करना अनिवार्य होगा।



23/3/13  
तहसीलदार मावली  
जिला उदयपुर

प्रतिलिपि:-

- जिला कलक्टर महोदय, उदयपुर की सेवामें सूचनाार्थ
- तहसील राजस्व लेखाकार, मावली
- सरपंच, ग्राम पंचायत मावली
- पटवारी हल्का मावली
- प्रार्थी शम्भुदास पिता लालदास वैरागी नि. मावली, दिनेशदास पिता गमेरदास जी वैरागी निवासी गोविन्दनगर बी-7 कांकरोली


23/3/13  
तहसीलदार मावली  
जिला उदयपुर



Gokuldham

R  
O  
A  
D

R O A D 30' WIDE



Layout plan of Mavli  
Kh. No. 1871  
Scale 1" = 30'

| PLOT NO. | AREA           | FACING | PLOT NO. | AREA           | FACING |
|----------|----------------|--------|----------|----------------|--------|
| 1        | 1476.00SQ.FT.. | WEST   | 10       | 1572.00SQ.FT.. | NORTH  |
| 2        | 1430.00SQ.FT.. | WEST   | 11       | 1308.00SQ.FT.. | EAST   |
| 3        | 1491.00SQ.FT.. | WEST   | 12       | 1465.00SQ.FT.. | EAST   |
| 4        | 1520.00SQ.FT.. | WEST   | 13       | 1376.00SQ.FT.. | EAST   |
| 5        | 1526.00SQ.FT.. | WEST   | 14       | 1453.00SQ.FT.. | EAST   |
| 6        | 1534.00SQ.FT.. | WEST   | 15       | 1651.00SQ.FT.. | EAST   |
| 7        | 1528.00SQ.FT.. | WEST   | 16       | 1576.00SQ.FT.. | EAST   |
| 8        | 1505.00SQ.FT.. | WEST   | 17       | 1454.00SQ.FT.. | EAST   |
| 9        | 1803.00SQ.FT.. | NORTH  | 18       | 1305.00SQ.FT.. | EAST   |



Sealer

Purchaser

